

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- कनक जैन(R.A.S.)

उनवान

शान्ति देवी पत्नी रामलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीया-

बनाम

1. दशरथसिंह पुत्र हरिसिंह,
2. मदनसिंह पुत्र हरिसिंह,
3. सुमेरसिंह पुत्र हरिसिंह,
4. सोहनसिंह पुत्र हरिसिंह,
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. सिरहकंवर धर्मपत्नि कल्याणसिंह
6. शैलेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
7. देवेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. संजूकंवर धर्मपत्नि कल्याणसिंह पत्नी सम्पतसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पून्यास, जिला नागौर।
9. शोभाकंवर पुत्री कल्याणसिंह पत्नी विक्रमसिंह, जाति राजपूत, निवासी बूटाटी, जिला नागौर।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. बैंक ऑफ बड़ौदा, जरिये शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञावाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


मुकदमा नम्बर :-47/2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रुबरू कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

1. शान्ति देवी पत्नि रामलाल जाति अहीर, सा0 कालवाड खातेदार को खसरा नम्बर 376 रकबा 0.5950 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5950 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. दशरथ सिंह मदनसिंह सुमेरसिंह सोहनसिंह पिता हरिसिंह 4/5 देवेन्द्र सिंह शैलेन्द्र सिंह शोभाकंवर संजेशकंवर पिता कल्याण सिंह हिस्सा 4/25 श्रीकंवर पत्नि कल्याण सिंह हिस्सा 1/25 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 376/1 रकबा 0.5950 हैक्टैयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5950 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।


नजीमबलिक बाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।
वसूली मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 18.10.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत 
ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1



न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूं, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं० :- 47/2022

उनवान

शान्ति देवी पत्नी रामलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीया-

बनाम

1. दशरथसिंह पुत्र हरिसिंह,
2. मदनसिंह पुत्र हरिसिंह,
3. सुमेरसिंह पुत्र हरिसिंह,
4. सोहनसिंह पुत्र हरिसिंह,
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. सिरहकंवर धर्मपत्नि कल्याणसिंह
6. शैलेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
7. देवेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. संजूकंवर धर्मपत्नि कल्याणसिंह पत्नी सम्पतसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पून्यास, जिला नागौर।
9. शोभाकंवर पुत्री कल्याणसिंह पत्नी विक्रमसिंह, जाति राजपूत, निवासी बूटाटी, जिला नागौर।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. बैंक ऑफ बड़ौदा, जरिये शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ० धारा 53 व 188 रा०का० अधिनियम 1955

निर्णय


दिनांक:-18.10.2024

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.03.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रैजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात प्रस्ताव सभी काशतकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता सं० 320 खसरा नं० 376 रकबा 1.19 है० कुल किता 1 का कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर वाके वाके ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

mmj

1. शान्ति देवी पत्नि रामलाल जाति अहिर, सा0 कालवाड खातेदार को खसरा नम्बर 376 रकबा 0.5950 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5950 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. दशरथ सिंह मदनसिंह सुमेरसिंह सोहनसिंह पिता हरिसिंह 4/5 देवेन्द्र सिंह शैलेन्द्र सिंह शोभाकंवर संजेशकंवर पिता कल्याण सिंह हिस्सा 4/25 श्रीकंवर पत्नि कल्याण सिंह हिस्सा 1/25 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 376/1 रकबा 0.5950 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5950 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय) चौमूँ